राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/NAHP/2014पार्ट जयपुर, दिनांक :– 23 JUN 2020

आदेश

एकीकृत भवन विनियम–2017, राजस्थान टाउनशिप पालिसी–2010 एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानानुसार ग्रुप हाउसिंग के प्रकरणों में अल्प आयवर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग हेतु आवास आरक्षित किये जाने का प्रावधान है। नगर विकास न्यासों तथा स्थानीय निकायों द्वारा उनकी योजनाओं में ग्रुप हाउसिंग के भूखण्डों की नीलामी में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत समक्ष स्तर से अनुमोदन पश्चात् निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:–

"जिन नगरीय निकायों (प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय) द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तथा मुख्य मंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत अपने क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स प्रारम्भ किये गये हैं, उन नगरीय निकायों में स्वयं की योजना में ग्रुप हाउसिंग हेतु नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों में भवन विनियमों के प्रावधानानुसार अल्प आयवर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग हेतु आवास आरक्षित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।" क्योंकि नगरीय निकायों की स्वय की योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु भूखण्डों का प्रावधान पूर्व में ही किया गया होता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, नगरीय